उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्
राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला परिसर, देहरादून

यूजेवीएन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पिटकुल), उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या 4154 / उप्राशिप / परीक्षा बाहय / 2013 दिनांक. 7 / 12 / 2013
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 8 / 12 / 2013
आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि–8 / 1 / 2014

यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून के द्वारा प्रेषित अधियाचन सं0 11705 / यूजूवीएनएल / एचआरडी दिनांक 10 / 12 / 2012 एवं 8933 / यूजेवीएनएल / एचआरडी दिनांक 19–08–2013 के क्रम में यूजेवीएन लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड–II (मैकेनिकल), टेक्नीशियन ग्रेड–II (इलेक्ट्रीकल), ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) एवं ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के कुल 243 पदों हेतु तथा पिटकुल, देहरादून के द्वारा प्रेषित अधियाचन सं0 403 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / एच–4 दिनांक 14 / 03 / 2013 एवं पत्रांक 746 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / एच–4 दिनांक 09 / 05 / 2013 एवं पत्रांक 787 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / एच–4 दिनांक 15 / 05 / 2013 तथा पत्रांक 1221 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / एच–4 दिनांक 17 / 07 / 2013 के क्रम में पिटकुल में अवर अभियन्ता (विद्युत) (प्रशिक्षु), अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु), सहायक लेखाकार, तकनीशियन ग्रेड–II (विद्युत), आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय, कार्यालय सहायक–तृतीय एवं कार्यालय सहायक–तृतीय (लेखा) के कुल 143 पदों हेतु, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 के पत्र सं0 300 / निदेशक(मा0सं0) / उपाकालि / Rectt 2013 दिनांक 5 / 4 / 2013 तथा पत्र सं0 10049 / निदेशक(मा0सं0) / उपाकालि / Rectt 2013 दिनांक 7 / 12 / 2013 के क्रम में तकनीशियन ग्रेड–II(विद्युत), सहायक भण्डारी एवं सहायक लेखाकर के कुल 573 पदों हेतु एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल के पत्र सं0 474 / नि0प्रा0शि0 / स्था0–36 / 2013–14 दिनांक 25 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त अधियाचन में कर्मशाला अनुदेशक के 98 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। 'आवेदन पत्र' का प्रारुप (परिशिष्ट–2) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाईट **www.ubter.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्रों / परीक्षा तिथि की सूचना उन्हें प्रवेश पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, द्वारा दी जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी को परिषद द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

1. रिक्तियों की संख्या एवं विवरण निम्नवत है:–

(अ) यूजेवीएन लिमिटेड			
ग्रुप कोड	पद कोड	पदनाम वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
A	1	टैक्नीशियन ग्रेड–II (मैकेनिकल) 5200–20200, ग्रेड पे–2600	77 (GEN-23, GEN(WO)-14, GEN(EX)-2,GEN(DFF)-1, GEN(UKA)-5*, GEN(SP)-2, SC-7, SC(WO)-5, SC(EX)-1 SC(UKA)-2*, SC(SP)-1, ST-2, ST(WO)-1, OBC-6, OBC(WO)-3, OBC(EX)-1), OBC(UKA)-1*)
B	2	टैक्नीशियन ग्रेड–II (इलेक्ट्रीकल) 5200–20200, ग्रेड पे–2600	94 (GEN-30, GEN(WO)-18, GEN(EX)-3, GEN(UKA)-6*, GEN(SP)-2, GEN(DFF)-1,SC-9, SC(WO)-5, SC(EX)-1 SC(UKA)-2*, SC(SP)-1, ST-2, ST(WO)-1, OBC-6, OBC(WO)-4, OBC(EX)-1, OBC(SP)-1,OBC(UKA)-1*)
C	3	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) 5200–20200, ग्रेड पे–2600	15 (GEN-5, GEN(WO)-3, GEN(EX)-1, GEN(UKA)-1*, SC-2, SC(WO)-1, OBC-1, OBC(WO)-1)
D	4	ड्राफ्ट्समैन (सिविल) 5200–20200, ग्रेड पे–2600	35 (GEN-10, GEN(WO)-7, GEN(PH)-1, GEN(EX)-1, GEN(UKA)-2*, GEN(SP)-1, SC-4, SC(WO)-2, SC(UKA)-1*, ST-1, OBC-2, OBC(WO)-2, OBC(UKA)-1*)
E	5	कार्यालय सहायक तृतीय (लेखा) 5200–20200, ग्रेड पे–2600	22 (GEN-8, GEN(WO)-4, GEN(EX)-1, GEN(UKA)-1*, SC-2, SC(WO)-2, SC(UKA)-1*, OBC-2, OBC(WO)-1)
(ब) पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पिटकुल)			
ग्रुप कोड	पद कोड	पदनाम वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
F	6	अवर अभियन्ता (विद्युत) (प्रशिक्षु) 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	44 (GEN-12, GEN(WO)-8, GEN(PH)-1, GEN(EX)-1, GEN(SP)-1,GEN (UKA)-2*, SC- 8, SC(WO)-3, SC(UKA)-1*, ST-1, OBC- 4, OBC (WO)-2)
G	7	अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	18 (GEN-7, GEN(WO)-3,GEN(EX)-1, GEN (UKA)-1*, SC-3, SC(WO)-1, ST-1, OBC-1)
E	8	सहायक लेखाकार 5200–20200 ग्रेड वेतन 3000	11 (GEN-4, GEN(WO)-2, GEN (UKA)-1*, SC-2, SC(WO)-1, OBC-1)
H	9	तकनीशियन ग्रेड–II (विद्युत) 5200–20200 ग्रेड वेतन 2600	34 (GEN-9, GEN(WO)-5, GEN(EX)-1, GEN(SP)-1. GEN (UKA)-2*, SC-4, SC(WO)-2, SC(UKA)-1*, ST-2, ST(WO)-2, ST(UKA)-1*, OBC- 3, OBC (WO)-1.)
I	10	आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय 5200–20200 ग्रेड वेतन 2600	10 (GEN-4, GEN(WO)-2, GEN (UKA)-1*, SC-1, SC(WO)-1, OBC-1)
I	11	कार्यालय सहायक – तृतीय 5200–20200 ग्रेड वेतन 2600	17 (GEN-3, GEN(WO)-3, GEN(Ex)-1, GEN(SP)-1, GEN(UKA)-1*, SC-2, SC(WO)-2, SC(UKA)-1*, OBC-2 OBC(WO)-1)

E	12	कार्यालय सहायक – तृतीय (लेखा) 5200–20200 ग्रेड वेतन 2600	9 (GEN-4, GEN(WO)-2, GEN (UKA)-1*, SC-1, OBC-1)
(स) प्राविधिक शिक्षा विभाग श्रीनगर गढ़वाल (राजकीय पालीटेकनिकों हेतु कर्मशाला अनुदेशक)			
ग्रुप कोड	पद कोड	पदनाम वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
J	13	कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग/प्लम्बिंग 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**11** (GEN-5, GEN(WO)-3, SC-2, SC(WO)-1
J	14	कर्मशाला अनुदेशक कारपेन्ट्री एवं पैटर्न मेकिंग 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**10** (GEN-3, GEN(WO)-2, SC-1, SC(WO)-1, ST-1, OBC-1, OBC(WO)-1
J	15	कर्मशाला अनुदेशक मशीन शॉप 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**09** (GEN-2, GEN(WO)-1, SC-2, SC(WO)-1, ST-1, OBC-1, OBC(WO)-1
J	16	कर्मशाला अनुदेशक वेल्डिंग 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**12** (GEN-4, GEN(WO)-2, SC-2, SC(WO)-1, ST-1, OBC-1, OBC(WO)-1
J	17	कर्मशाला अनुदेशक शीट मेटल/ पेंटिंग 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**10** (GEN-5, GEN(WO)-2, ST-1, OBC-1, OBC(WO)-1
J	18	कर्मशाला अनुदेशक लौहकला 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**09** (GEN-4, GEN(WO)-2, SC-1, OBC-1, OBC(WO)-1
J	19	कर्मशाला अनुदेशक फाउन्ड्री/मोल्डिंग 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**08** (GEN-3, GEN(WO)-2, SC-1, SC(WO)-1, OBC-1
J	20	कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग/शीट मेटल 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**09** (GEN-3, GEN(WO)-1, SC-2, SC(WO)-1, OBC-1, OBC(WO)-1
K	21	कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रीकल 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**10** (GEN-3, GEN(WO)-2, SC-1, SC(WO)-1. ST-1, OBC-1, OBC(WO)-1
L	22	कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रानिक्स 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	**10** (GEN-3, GEN(WO)-1, SC-3, SC(WO)-1, ST-1, OBC-1
(द) उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0)			
H	23	तकनीशियन ग्रेड–II (विद्युत) 5200–20200 ग्रेड वेतन 2600	**496** (GEN-146, GEN(WO)-90, GEN(EX)-15, GEN(DFF)-6, GEN(UKA)-30*, GEN(SP)-12, SC-55, SC(WO)-33, SC(EX)-6, SC(DFF)-2, SC(SP)-4, SC(UKA)-11*, ST-11, ST(WO)-7, ST(EX)-1, ST(SP)-1, ST(UKA)-2, OBC-32, OBC(WO)-19, OBC(EX)-3, OBC(DFF)-1, OBC(SP)-3, OBC(UKA)-6*)
E	24	सहायक लेखाकार 5200–20200 ग्रेड वेतन 3000	**57** (GEN-15, GEN(WO)-10, GEN(EX)-3, GEN(PH)-2, GEN(DFF)-1, GEN(UKA)-4*, GEN(SP)-2, SC-5, SC(WO)-3, SC(UKA)-1*, ST-1, ST(WO)-1, OBC-5, OBC(WO)-3, OBC(UKA)-1*)
M	25	सहायक भण्डारी 5200–20200 ग्रेड वेतन 2600	**20** (GEN-4, GEN(WO)-3, GEN(EX)-1, GEN(PH)-1, GEN(UKA)-1*, SC-3, SC(WO)-2, SC(UKA)-1*, ST-1, OBC-2, OBC(WO)-1)

ग्रुप वार पदों का विवरण निम्नवत हैः–

ग्रुप	ग्रुप में सम्मिलित पद कोड	ग्रुप	ग्रुप में सम्मिलित पद कोड
A	1	B	2
C	3	D	4
E	5, 8, 12, 24	F	6
G	7	H	9, 23
I	10, 11	J	13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20
K	21	L	22
M	25		

विशेष नोटः– एक ग्रुप के लिए एक ही आवेदन पत्र भरा जायेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ग्रुप में आवेदन करने की दशा में अलग–अलग आवेदन पत्र भरना होगा।

पिटकुल में कार्यावश्यकता अनुसार निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त कारपोरेशन के पत्रांक 1992/HR&Adm./PTCUL/H-1 दिनांक 20-11-2012 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति की प्रत्याशा में या अन्यथा कार्यावश्यकता के आधार पर पदों की संख्या बढ सकती है।

2. अनिवार्य/वांछनीय तथा अधिमानी अर्हताः (एक) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

(दो) सेवा में किसी पद के लिए निर्धारित अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक एवं प्राविधिक तथा अधिमानी अर्हताएं निम्नवत हैंः–

(अ) यूजेवीएन लिमिटेड

पद कोड	पदनाम	अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक /तकनीकी योग्यतायें	कुशलतायें/अन्य अर्हतायें	अनुभव
1	**टैक्नीशियन ग्रेड–II (मैकेनिकल)**	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है।	सम्बन्धित कार्य का दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य
2	**टैक्नीशियन ग्रेड–II (इलेक्ट्रीकल)**	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है।	सम्बन्धित कार्य का दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य
3	**ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)**	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से आई0टी0आई0 मैकेनिकल ट्रेड/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल ड्राफ्ट्मैनशिप का प्रमाण पत्र।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है। एम0एस0आफिस तथा कैड (CAD) का कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान	–
4	**ड्राफ्ट्समैन (सिविल)**	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से आई0टी0आई0 सिविल ट्रेड/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल ड्राफ्ट्मैनशिप का प्रमाण पत्र।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है। एम0एस0आफिस तथा कैड (CAD) का कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान।	–
5	**कार्यालय सहायक तृतीय (लेखा)**	1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी में @ 6000 Key Depression प्रति घण्टा तथा अंग्रजी में @ 7000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है। 3. कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है।	–

(ब) पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पिटकुल)

पद कोड	पदनाम	अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक /तकनीकी योग्यतायें	कुशलतायें/अन्य अर्हतायें	अनुभव
6	**अवर अभियन्ता (विद्युत) (प्रशिक्षु)**	1. सामान्य/अ.पि.वर्ग अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलैक्ट्रोनिक्स/टेलिकम्यूनिकेशन अभियंत्रिकी में 55 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. अनु.जाति/अनु.जनजाति/विभागीय (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए इलेक्ट्रिकल/इलैक्ट्रोनिक्स/टेलिकम्यूनिकेशन अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान।	&
7	**अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु)**	1. सामान्य/अ.पि.वर्ग अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक/संस्थान से सिविल अभियंत्रिकी में 55 प्रतिशत अंको के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना। 2. अनु.जाति/अनु.जनजाति/विभागीय (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान।	&
8	**सहायक लेखाकार**	1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी या अंग्रजी में न्यूनतम @4000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है।	&

9	तकनीशियन ग्रेड–II (विद्युत)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण। 2. इलैक्ट्रिशियन ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृह्द ज्ञान।	सम्बन्धित कार्य का दो वर्ष का कार्यानुभव।
10	आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. डिप्लोमा इन स्टैनोग्राफी एण्ड सैक्ट्रेरियल/कामर्शियल प्रैक्टिस में द्विवर्षीय डिप्लोमा। 3. अंग्रेजी आशुलिपि @80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में @ 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य हैं। 4. कम्प्यूटर पर हिन्दी में @ 7000 Key Depression प्रति घण्टा तथा अंग्रजी में @ 9000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है। 5. कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृह्द ज्ञान अनिवार्य है।	&
11	कार्यालय सहायक – तृतीय	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी में @ 6000 Key Depression प्रति घण्टा तथा अंग्रजी में @ 7000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है। 3. कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृह्द ज्ञान अनिवार्य है।	&
12	कार्यालय सहायक – तृतीय (लेखा)	4. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 5. कम्प्यूटर पर हिन्दी में @ 6000 Key Depression प्रति घण्टा तथा अंग्रजी में @ 7000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है। 6. कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृह्द ज्ञान अनिवार्य है।	&

(स) प्राविधिक शिक्षा विभाग श्रीनगर गढ़वाल

पद कोड	पदनाम	अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक /तकनीकी योग्यतायें	कुशलतायें/अन्य अर्हतायें	अनुभव
13	कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग/प्लम्बिंग	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
14	कर्मशाला अनुदेशक कारपेन्ट्री एवं पैटर्न मेकिंग	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
15	कर्मशाला अनुदेशक मशीन शॉप	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
16	कर्मशाला अनुदेशक वेल्डिंग	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
17	कर्मशाला अनुदेशक शीट मेटल/ पेंटिंग	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
18	कर्मशाला अनुदेशक लौहकला	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
19	कर्मशाला अनुदेशक फाउन्ड्री/मोल्डिंग	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–

20	कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग/शीट मेटल	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
21	कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रीकल	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
22	कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रानिक्स	सम्बद्ध शाखा में तीन वर्ष का जी0एस0टी0एस0 का प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल के साथ सम्बद्ध शाखा में जी0टी0आई0 या आई0टी0आई/पालीटेकनिक का प्रमाण पत्र या सम्बद्ध शाखा में डिप्लोमा। **प्रमाण पत्र के बाद तीन वर्ष का औद्योगिक अनुभव।**	–	–
(द) उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0)				
पद कोड	पदनाम	अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक /तकनीकी योग्यतायें	कुशलतायें/अन्य अर्हतायें	अनुभव
23	तकनीशियन ग्रेड–II (विद्युत)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण। 2. इलैक्ट्रिशियन ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान।	सम्बन्धित कार्य का दो वर्ष का कार्यानुभव।
24	सहायक लेखाकार	1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. कम्प्यूटर कोर्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी या अंग्रजी में न्यूनतम /4000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है।	हिन्दी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है।	&
25	सहायक भण्डारी	1. इन्टरमीडिएट साईन्स (Physics, Chemistry & Maths) विषय से उत्तीर्ण एवं 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना एवं 3. उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर संस्थान से 1 वर्ष का कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स एवं 4. कम्प्यूटर पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन/घंटा टंकण की गति।	–	–

3. **राष्ट्रीयता:** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या होना चाहिए या (ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

4. **चरित्र:** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

5. **वैवाहिक प्रास्थिति:** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

6. **शारीरिक स्वस्थता:** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–एक भाग–दो के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

7. कर्मचारी भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटीः– चयनित अभ्यर्थी Emplyees Provident Fund एवं Misc. Provisions Act, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य होंगे तथा उन पर Payment of Gratuity Act, 1972 के प्राविधान लागू होंगे।

8. आरक्षणः उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षणवार पदों की संख्या उपरोक्त तालिका में अंकित की गयी हैं।

(1) **ऊर्ध्व आरक्षणः–** उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। (शा0सं0–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शा0सं0–254/कार्मिक–2/2002, दि0 10 अक्टूबर, 2002)

(2) **क्षैतिज आरक्षणः– (क)** उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग**, उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ी**, उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** तथा उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (यथा संशोधित)–अधि0सं0:133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च 2009 के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित होगा।

(i) "**पूर्व सैनिक**" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो– (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "शारीरिक रूप से विकलांग" शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश सं0 196/XVII-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25.03.2011 के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नवत होगा :–

पद कोड	विकलांगजन की श्रेणी
3 एवं 4	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
6 एवं 7	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
8	ओ0एल0, ओ0ए0
10	ओ0एल0, बी0एल0, पी0बी0, बी
11	ओ0एल0, ओ0ए0, बी0, पी0बी0
12	ओ0ए0, बी0एल0, ओ0एल0, एफ0टी0, एम0डब्लू0, पी0डी0

(iii) "**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित**" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के **(एक)** पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) **(दो)** पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ख) उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ियों** के लिए क्षैतिज आरक्षण शा0सं0:2461/XXX(2)/2006 दिनांक 06 अक्टूबर 2006 व शा0सं0:136/XXX(2)/2009 दि0 27 फरवरी 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। **मान्यता प्राप्त खेल एवं मान्य खिलाड़ियों के वर्गीकरण की सूची उक्त शासनादेश से अवलोकित करने के पश्चात ही इस श्रेणी में अपने आरक्षण का दावा करें।**

(ग) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शा0सं0–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दि0 18 जुलाई 2001, शा0सं0–589/कार्मिक–2/2002 दि021 जुलाई 2002 तथा शा0सं0–1966/XXX(2)/2006 दि0 24 जुलाई 2006 एवं शा0सं0 686/XXX(2)/2011 दिनांक 29 अगस्त 2011 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

***(घ)** शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004 दि0 11 अगस्त 2004 एवं शा0सं0–637/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006 दि0 13.08.2010 के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन** के चिन्हित सभी आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 05 प्रतिशत का अधिमान दिया जायेगा तथा शा0सं0–776/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006-08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008, शा0सं0–1739/बीस–4/2011–26/उ0आ0/2006(गृह अनुभाग–4) दि0 05.08.2011 के प्राविधानों के अनुसार 10 अगस्त 2016 तक 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी।

शासनादेश संख्या–4020/XX(4)-7/उ0आन्दो0/2006 दि0 08 नवम्बर 2006 एवं शासनादेश संख्या–777/बीस–4/26/उ0आ0/2006–08 दि0 22–10–2008 तथा शा0सं0–2963/XX(4)-3(26)/2006 (गृह अनुभाग–4) दि0 13.12.2011 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन** के चिन्हित सभी आन्दोलनकारियों की निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक व्यक्ति जो आन्दोलनकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हों, को राजकीय सेवा में शा0सं0–1270/तीस–2/2004 दि0 11 अगस्त 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगाः–

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं।

(2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं।

(3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

उक्त श्रेणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित हैं, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगेः–

(1) पत्नी/पति (2) आश्रित पुत्र (3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

नोटः** ***उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष Writ Petition (PIL) संख्या 67 of 2011 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिये जाने के अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2013 को दिए गये हैं किन्तु चयन प्रक्रिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनकी नियुक्ति उक्त याचिका के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन रहेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26–08–2013 के विद्यमान रहने की स्थिति में उपर्युक्त राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी। यदि निर्णय उनके पक्ष में नहीं होता है तो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य आन्दोलनकारी का लाभ नहीं मिलेगा तथा इन पदों के सापेक्ष सम्बन्धित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्तियॉ दी जायेगी।

नोटः– यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के **परिशिष्ट–1** में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख परिशिष्ट–1 में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो तो वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी के पुष्टि व अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर ही प्रस्तुत किया जाय।

9. आयु सीमा : 1 जुलाई 2013 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(1) **अधिकतम आयु सीमा में छूट** : (क) शा0सं0–1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग** के निवासी/अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग/निःशक्त** अभ्यर्थियों के लिए (केवल चिन्हित पदों उपरोक्त पैरा 8(2)(क)(ii) के अनुसार) उच्चतम् आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्याः 1673/ XXX (2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर 2010)।

उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या 1244/ XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई 2005)।

(ग) उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिक** को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)।

(घ) राष्ट्रीय अथवा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तराखण्ड के **कुशल खिलाड़ियों** के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शा0सं0–22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28.11.1985)।

(ड.) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित सभी आंदोलनकारियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष होगी। (शा0सं0–1270/तीस–2/2004 दि011 अगस्त 2004, शा0सं0ः776/XX(4)-26/उ0आन्दो0/ 2006–08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008), शा0सं0ः777/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008) तथा शा0सं0ः637/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006/09 (गृह अनुभाग–4) दि0 13 अगस्त 2010)।

(च) यूजेवीएन लिमिटेड/पिटकुल की नियमित सेवा में कार्यरत कार्मिकों हेतु निगम में की गई कुल सेवा के वर्षों अथवा पांच वर्ष जो भी अधिक हो, ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा के वर्षों का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(छ) अप्रैन्टिसशिप अधिनियम 1961 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर अवधि की छूट अनुमन्य होगी।

नोटः– जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे अन्यथा उच्चतम् आयु सीमा मे छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

10. आवेदन–पत्र शुल्क : उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 548/XXX(2)/2012/55(35)2012 दिनांक 22.06.2012 के क्रम में समस्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र शुल्क एवं परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। परम्परागत् आवेदन पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–2** पर परिषद् की वेबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है।

11. चयन परीक्षा तथा प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रमः (एक) पदों हेतु चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ज्ञान पर आधारित तथा 50 प्रश्न संबंधित 'पद' हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित होंगे।

लिखित परीक्षा दो घण्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट तथा उत्तर शीट की कार्बन प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

उपरोक्त पदों हेतु अन्तिम चयन लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर चयन किया जायेगा किन्तु जिन पदों पर आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा/ CAD की दक्षता परीक्षा आयोजित की जानी है उनके लिए अभ्यर्थी को उक्त आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा/CAD की दक्षता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्तिम

चयन आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर टंकण/CAD दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से केवल लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर किया जायेगा।

कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1420/xxx(2)/2011 दिनांक 13 दिसम्बर 2011 के अनुपालन में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा।

यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हों तो अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम ऊपर रखा जायेगा। अन्तिम चयन सूची परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

<u>सभी अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश :–</u>

1. अभ्यर्थी हिन्दी लिखने तथा बोलचाल में सक्षम होने चाहिए।
2. अभ्यर्थी का प्रदेश में किसी सेवायोजन कार्यालय में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है।
3. उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिशिप प्राप्त मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी।
4. सभी शैक्षिक/तकनीकी योगयताएँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से प्राप्त होनी चाहिए।
5. अनुभव शैक्षिक/तकनीकी योग्यता उपरान्त (Post Qualification) होना चाहिए।
6. ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं यदि प्रदेश के बाहर किसी आई0टी0आई0 संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो एवं उत्तराखण्ड के बाहर अप्रैन्टिशिप किया हो, भी आवेदन के पात्र होंगे।
7. प्रशिक्षित प्रशिक्षु के नियोजन हेतु आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर अविध की छूट अनुमन्य होगी। शिथिलता हेतु उन प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय (Apex Court) द्वारा दिये गये हैं।
8. किसी विशेष श्रेणी से सम्बन्धित होने का दावा प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यर्थियो ंको किसी सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनु0जाति/अनु0 जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में केवल वही प्रमाण पत्र वैध माना जायेगा जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसकी स्व–प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।
9. केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम (Through Proper Channel/NOC) से भेजने होंगे, जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है।
10. जिन पदो ंके लिए अनुभव अनिवार्य होगा उन पदों पर आवेदन के लिए स्वप्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्ते पूरी करते हैं। **परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से यह नहीं माना जायेगा कि अभ्यर्थी आवश्यक निर्धारित अर्हता प्राप्त करते हैं।** जो अभ्यर्थी स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों अथवा जिनका परीक्षाफल आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त न हुआ हो, वे आवेदन न करें।
12. आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने हाथों से भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के लिए **केवल काले अथवा नीले रंग के बॉल प्वाइन्ट पेन** का प्रयोग करना चाहिए।
13. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन–पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उपश्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
14. आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी परिषद् की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
16. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए (जो लागू हों) तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
17. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। समाचार पत्रों की कटिंग पर प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
18. आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में बाद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन का अनुरोध किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।
19. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा परिषद् के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो परिषद् उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
20. एक लिफाफे में एक से अधिक पद के लिए आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा उसका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जायेगा।
21. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा।
22. पदों के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र' में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

23. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।

24. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परिषद् द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

25. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर परिषद् द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर/मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी भी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

26. परीक्षा के दौरान कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

27. परीक्षा के दौरान कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु तैनात स्टॉफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

28. अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करे तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

29. एक अभ्यर्थी जो निम्नलिखित कारणों से परिषद् द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–

(i) यदि वह किसी भी प्रकार से अपने अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करता है, अथवा (ii) नाम बदलकर परीक्षा देता है, अथवा उत्तर पत्रक OMR Sheet/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरता है अथवा (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा (iv) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करता हो जिनमें फेरबदल किया गया हो, अथवा (v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हों या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई हो, अथवा (vi) अपने चयन के लिए अभ्यर्थन हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो, अथवा (vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हो, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, अथवा (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार दुर्व्यहार किया हो, (जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, उत्तर पुस्तिका लेकर कक्ष से भाग जाना ,परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है), अथवा (x) परीक्षा संचालन के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, अथवा (xi) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में कैलकुलेटर/मोबाइल फोन/संचार यन्त्र का प्रयोग करते हुए या उसके पास पाया जाता है, अथवा (xii) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो,

जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे –

(क) परिषद् उस चयन से, जिसका वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है–

(1) परिषद् द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से, (2) राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से।

(ग) यदि वह सरकार/सरकारी प्रतिष्ठान के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

30. परिषद् से किए जाने सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

31. यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से परिषद् को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

32. निम्नलिखित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल/अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल निवास/स्थायी निवास की स्वप्रमाणित छायाप्रति, अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों के उचित माध्यम से आवेदन, एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित छायाप्रति, डिप्लोमा इन स्टैनोग्राफी एण्ड सैक्ट्रेरियल/कामर्शियल प्रैक्टिस में द्विवर्षीय डिप्लोमा की स्वप्रमाणित छायाप्रति अथवा आवेदित ग्रुप/पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अभिलेख (ख) अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ स्वप्रमाणित, आवेदन पत्र के निर्धारित फार्मेट पर चिपका हो तथा फोटो के नीचे अभ्यर्थी द्वारा पठनीय हस्ताक्षर भी किए जायें। (ग) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों एवं विशिष्ट खिलाड़ियों के मामले में क्रमशः शासनादेश संख्या–22/21/1983 कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर,1985 व शासनादेश संख्याः 2461/XXX (2)/2002, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 तथा शासनादेश संख्या–136/XXX (2)/2009, दिनांक 27.02.2009 के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा। (घ) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट–1** में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। (शासनादेश सं0 590/XVII/-3/12-05(O.B.C.)/2010 समाज कल्याण अनुभाग–03 दिनांक 30 मई 2012 के अनुसार।)

33. परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की लिखित परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक

चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा और परिषद् का निर्णय अंतिम होगा। लिखित परिक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रजी भाषा में (द्विभाषीय) उपलब्ध होंगे। किसी भी विरोधाभाष में अंग्रेजी माध्यम मान्य होगा।

34. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

35. परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश–पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र आवंटन के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

36. **जो अभ्यर्थी कालान्तर में भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और लिखित परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।**

37. **उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद परिषद् द्वारा अन्तिम चयन के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अथवा अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**

38. **आवेदन पत्र का अग्रसारण** :–अभ्यर्थी 9" x 12" साईज के लिफाफे में आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित रखकर **सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला परिसर, देहरादून**'' के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करें। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि **दिनांक 8 जनवरी 2014** है। उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा।

लिफाफे का प्रारूप

विज्ञापन संख्या 4154 उप्राशिप/परीक्षा बाहय –2013 दिनांक 7/12/2013 | स्पीड पोस्ट/पंजीकृत

आवेदित ग्रुप कोडः [ ]

सेवा में,
सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला परिसर,
देहरादून–248001

प्रेषकः
....
....
पिनः ....

39. **परिषद् द्वारा संपादित की जा रही परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन नितान्त औपबन्धिक होगा तथा चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप से संबंधित विभाग द्वारा सम्पन्न किया जायेगा एवं प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी।**

40. **अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन पत्र एवं स्पीड पोस्ट की रसीद की छायाप्रति अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें। प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परिषद् कार्यालय में उक्त दोनों अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा।**

सचिव